# गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

## विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.12.2018 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.12.2018 को पूर्वान्ह 11:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रो0 अंजिला गुप्ता | अध्यक्ष |
| 2. | प्रो0 ए.के. सक्सेना | सदस्य |
| 3. | प्रो0 व्ही.डी. रंगारी | सदस्य |
| 4. | प्रो0 जी.के. पात्रा | सदस्य |
| 5. | प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव | सदस्य |
| 6. | प्रो0 मनीषा दुबे | सदस्य |
| 7. | डॉ0 रेणु भट्ट | सदस्य |
| 8. | प्रो0 पी.के. बाजपेयी | सदस्य |
| 9. | प्रो0 ए.एस. रणदिवे | सदस्य |
| 10. | प्रो0 एल.पी. पटैरिया | सदस्य |
| 11. | प्रो0 एम.के. सिंह | सदस्य |
| 12. | डॉ0 एम.एन.त्रिपाठी | आमंत्रित सदस्य |
| 13. | डॉ0 बी.डी.मिश्रा | आमंत्रित सदस्य |
| 14. | डॉ0 चारू अरोरा | आमंत्रित सदस्य |
| 15. | प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक) | सचिव |

निम्मानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

01 प्रो. व्ही.एस. राठौर

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

**विषय क्र. 01 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.10.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.10.2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

**विषय क्र. 02 पाठ्योत्तर क्रिया–कलापों की अवधि एवं स्तर पर विचार हेतु।**

स्थायी समिति ने छात्र परिषद गठन संबंधी विनियम 2011 (यथा संशोधित 2017) के विभिन्न प्रावधानों में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन किया।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रस्तावित संशोधन के बिन्दु क्रमांक–05, क्लॉज नं. 16.2.1 के अंतर्गत दिये गये संशोधित सारणी में ''राष्ट्रीय स्तर (National Leval'' से तात्पर्य यह होगा– "National leval competitions organized by Universities/ Colleges/Government Agencies/Agencies funded by Government."

**विषय क्र. 03 विश्वविद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु सामान्य दिशा निर्देश।**

स्थायी समिति ने निम्नानुसार संशोधनों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु प्रस्तावित सामान्य दिशा निर्देश एवं समय सारिणी का अनुमोदन किया–

पैरा नं.–02 को निम्नानुसार पढ़ा जाये– "The Dean/Head or a person nominated by the Dean/Head will be the coordinator of the School/Department fest."

पैरा नं.–10 को निम्नानुसार पढ़ा जाये– "Student should be encouraged to participate in AIU listed events mentioned below to prepare School/Department level fest programs. However, the Dean/Head may slightly alter the cultural events in order to enhance their skills for further higher levels."

समय सारिणी में बिन्दु क्रमांक–09 में प्रस्तावित Engineering and Technology Fest को Engineering and Technology Cultural Fest पढ़ा जाये।

**विषय क्र. 04 अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 30.11.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन पर विचार।**

स्थायी समिति ने अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 30.11.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोध विनियम 2016 में कृत द्वितीय संशोधन को अंगीकृत करते हुए विश्वविद्यालय के शोध विनियम 2018 में संशोधन किया जाय।

**विषय क्र. 05 अध्ययन मण्डल रसायन विभाग के कार्यवृत्त एवं अध्ययन मण्डल की बैठकों के संबंध में प्राप्त शिकायत पर विचार।**

स्थायी समिति न निर्णय लिया कि रसायन शास्त्र विभाग द्वारा प्रस्तुत अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 06.10.2018 के कार्यवृत्त एवं पाठ्यक्रम पर पुनर्विचार हेतु विभाग अध्ययन मण्डल की बैठक पुनः आयोजित करे।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्तावित पाठ्यक्रम अध्ययन मण्डल रसायन शास्त्र विभाग को पुनर्विचार हेतु वापस किया जाय।

**विषय क्र. 06 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के फीस वापसी तथा मूल प्रमाण पत्रों का गैर प्रतिधारण संबंधी अधिसूचना–अक्टूबर, 2018 को मान्य किये जाने पर विचार करना।**

स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के फीस वापसी तथा मूल प्रमाण पत्रों का गैर प्रतिधारण संबंधी अधिसूचना–अक्टूबर, 2018 को अंगीकृत करते हुए विश्वविद्यालय के सुसंगत अध्यादेश में संशोधन की कार्यवाही की जाय।

**विषय क्र. 07 विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के संशोधित अकादमिक कैलेण्डर पर विचार।**

स्थायी समिति ने कार्य दिवसों के संबंध में कतिपय संशोधन अधिष्ठाता अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला को सुझाये। उक्त सुझावों युक्त संशोधित अकादमिक कैलेण्डर का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

**विषय क्र. 08 डॉ0 हरीश कुमार, प्रोफेसर, प्रबंध अध्ययन विभाग के शिकायत पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि एजेंडा में प्रस्तुत टीप के अंतिम पैरा में अंकित वाक्य ''ऐसी स्थिति में शिकायत की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जांच समिति गठित किया जाना प्रस्तावित है।'' को विलोपित माना जाये।

उक्त प्रकरण के संबंध में समिति के समक्ष प्रो. हरीश कुमार के द्वारा प्रस्तुत पत्रों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए स्थायी समिति ने सर्व सम्मती से यह विचार किया कि डॉ0 हरीश कुमार ने अपने पत्रों में विभाग में संचालित शोध कार्यों के बारे में कई बिन्दुओं पर विश्वविद्यालय के कतिपय शिक्षकों एवं अधिकारियों पर आक्षेप लगाये है, परन्तु इन आक्षेपों एवं जिन तथ्यों के बारे में अपने पत्रों में चर्चा की है, उनका न तो बिन्दुवार विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है और न ही अपने आक्षेपों की सम्पुष्टि हेतु दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किया है।

अतः स्थायी समिति यह निर्णय लेती है कि डॉ0 हरीश कुमार से प्राप्त शिकायत के आधार पर किसी भी निर्णय पर पहुंचने के पूर्व डॉ0 हरीश कुमार से बिन्दुवार तथ्यात्मक जानकारी एवं पुष्टिकारक दस्तावेजों को मंगाया जाना उचित होगा।

स्थायी समिति यह और भी निर्णय लेती है कि अकादमी शाखा द्वारा दो सप्ताह के भीतर ऐसे दस्तावेज डॉ0 हरीश कुमार से मंगा लिये जायें एवं उनसे जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त आगामी कार्यवाही हेतु विषय डॉ0 हरीश कुमार द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के साथ स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

**विषय क्र. 09 VRET प्रवेश सूचना 2018–19 के विज्ञापन प्रारूप पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि VRET प्रवेश सूचना 2018–19 के प्रस्तावित विज्ञापन प्रारूप एवं एजेंडा टीप में प्रस्तुत प्रस्ताव के विभिन्न 06 बिन्दुओं का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रवेश सूचना हेतु प्रस्तावित सीट संख्या का परीक्षण अधिष्ठाताओं द्वारा कर लिया जाय एवं किसी भी तरह की विसंगती प्राप्त होने पर उसकी जानकारी अपनी अनुशंसाओं के साथ दिनांक 24.12.2018 सायं 06 बजे तक अकादमी शाखा में जमा करा दिया जाय।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

**कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव** **कुलपति/अध्यक्ष**